

श्री हरीश चन्द भुटानी,
के0-3/44, गली नं0 12-ए,
पश्चिम घोंडा,
दिल्ली-110053.

उप निदेशक (राजस्व)उ0/उ0पू0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री हरीश चन्द भुटानी, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 16-09-2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 03.12.2015 को अपील की सुनवाई की गई। नियत समयानुसार अपीलकर्ता श्री हरीश चन्द भुटानी, उपस्थित नहीं हुए एवं श्रीमती पूनम विज, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0पू0)-I, यमुना विहार जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुई।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 05.08.2015 को अपीलकर्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 16.09.2015 को दायर की।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारियों ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दे दिया है। सहायक जनसूचना अधिकारी ने बताया कि अपीलकर्ता की शिकायत को दूर कर दिया है। अब अपीलकर्ता को कोई शिकायत नहीं है, अपीलकर्ता ने लिखकर दे दिया है कि उनका मुद्देश्य हो गया है।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया।

यदि अपीलकर्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता है :-

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी-विंग,
अगस्त कान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली- 110066

ह0/-

निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्री हरीश चन्द भुटानी, के0-3/44, गली नं0 12-ए, पश्चिम घोंडा, दिल्ली-110053.
2. उप निदेशक (राजस्व) उ0/उ0पू0
4. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0पू0)-I, यमुना विहार।

अधिशाली अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

Nidhi

